न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सेवाराम स्वामी, आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 72/2017

1. दुर्गालाल पुत्र सेडूराम
2. मांगु पुत्र भोलू
3. डालू पुत्र सेडू
4. लालचन्द पुत्र सेडूराम
5. रामेश्वर लाल पुत्र भूराराम

जाति जाट, निवासी मलिकपुरा, तहसील किशनगढ, रेनवाल, जिला जयपुर राज0

6. सीताराम पुत्र भूराराम
7. जगदीश पुत्र भूराराम

– अपीलान्ट/अप्रार्थी सं. 1 ल0 7–

बनाम

1. बजरंगलाल पुत्र रामु
2. शंकर पुत्र रामु
3. सागरमल पुत्र रामेश्वर
4. जग्गुराम पुत्र रामेश्वर

समस्त जाति जाट, मलिकपुरा, तहसील किशनगढ़ रेनवाल, जिला जयपुरा राज0।

5. गणेश पुत्र उदा

–रेस्पोडेंट्स/प्रार्थीगण–

उपस्थित अधिवक्तागणः–

1– श्री चन्दन सिंह अपीलार्थी की ओर से।

2– श्री गिरधारी लाल रेस्पोडेंट की ओर से।

:– निर्णय :– दिनांक :– 04–01–2018

1. यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 टीनेन्सी एक्ट विरूद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभर लेक दिनांक 03.01.2017 प्रार्थना पत्र स0 466/16 उनवानी बजरंगलाल बनाम दुर्गालाल प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 5 ने अपीलान्ट्स न0 1 लगायत 7 के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए के तहत अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभर के यहां अपनी आराजी ख0न0 506/316, 510/316 एवं 501/310, 502/310, 503/310, 2511/316 वाके ग्राम मलिकपुरा तहसील किशनगढ रेनवाल में आने जाने हेतु 12 फीट चौडा रास्ता खसरा नम्बर 330 वाके ग्राम मलिकपुरा तहसील किशनगढ रेनवाल में से दिलाने हेतु पेश किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार किशनगढ रेनवाल से रिपोर्ट प्राप्त कर बाद सुनवाई दिनांक 03.01.2017 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 506/316, 510/316 एवं 501, 310/502/310, 503/310, 2511/316 वाके ग्राम मलिकपुरा तहसील किशनगढ रेनवाल में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 330 में से 842 फीट लम्बा व 12 फीट चौडा कुल 10104 वर्ग फीट यानि 07 बिस्वा भूमि की डी.एल.सी. दर की दुगुनी कीमत का भुगतान करने के पश्चात भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट में अंकित नजरी नक्शा में दर्शाया अनुसार रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज करने एवं मौके पर रास्ता कायम कर खुलवाये जाने का आदेश पारित किया उक्त निर्णय से असन्तुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई हैं

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

3– अपीलान्टस द्वारा अपनी अपील मीमों में कथन किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय/आज्ञा विधि विधान एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट ने कथित आराजी खसरा नम्बर 506/316, 510/316 एवं 501/310, 502/310, 503/310, 2511/316 वाके ग्राम मलिकपुरा तहसील किशनगढ रेनवाल में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 330 मे रास्ते की मांग की है जबकि वैकल्पिक रास्ता जो खसरा नम्बर 322, 318/4, 318/5 में नरेगा योजना के अन्तर्गत रेस्पो0 कि उपरोक्त आराजी में आने जाने हेतू पूर्व में कायम किया गया था ग्रेवल रोड के लिए मिटटी डाली गई थी जो प्रार्थीगण के खास परिवार की भूमि है। उपरोक्त खसरा नम्बर के खातेदार रेस्पो0 के भाईबन्ध है और इसी रास्ते से रेस्पो0 आते जाते रहे हैं तथा इसके अलावा अन्य रास्ता रेस्पो0 की आराजियात में आने जाने का खसरा नम्बर 318/3, 318/5 की दक्षिणी सींव के सहारे सहारे जाता है जिसका रेस्पो0 प्रार्थीगण बरसों से उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं। अपीलान्ट अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 330 में कोई रास्ता रेस्पो0 प्रार्थीगण की आराजी में आने जाने का नहीं रहा उक्त तथ्यों को फर्द मौका रिपोर्ट बनाते समय भू.अ. निरीक्षक ने अंकित नहीं किया। अपीलान्ट को सुचित नहीं किया गया। रेस्पो0 प्रार्थीगण द्वारा गलत तरीके से रिपोर्ट तैयार करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आपत्ति पर गौर न कर भू.अ. निरीक्षक की रिपोर्ट सही मानकर जो रास्ता खसरा नम्बर 330 में पश्चिमी सींव के सहारे सहारे दक्षिण से उतर की ओर कायम किया है वह मौके की स्थिति के विपरीत है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश खिलाफ कायदा कानून व रूयेदाद मिसल होने से खारिज किये जाने योग्य है। अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाये जाने का अनुतोष चाहा गया।

4– अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त कर बहस उभय पक्ष सुनी गई। अपील के दौरान रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 व 151 सी.पी.सी. प्रस्तुत कर कथन किया गया कि अपीलाधीन आदेश की पालना में राशि जमा करवाई जा चुकी है तथा रास्ता नक्शा ट्रेस में तरमीम किया जाकर राजस्व जमाबन्दी में दर्ज किया जा चुका है। इनके संबंध में दस्तावेजात रसीद, नक्शा ट्रेस व जमाबन्दी प्रस्तुत की जा रही है साथ ही खसरा संख्या 330 में से रास्ता होने से संबंधित ग्राम पंचायत के पत्र दिनांक 17.03.2017 व 15.08.2017 एवं नकल नक्शा ट्रेस ग्राम मलिकपुर प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की जा रही है। उक्त दस्तावेजात को प्रकरण में न्याय हित की दृष्टि से रिकॉर्ड पर लिये जाने का कथन रेस्पोडेंट द्वारा किया गया। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कथन किया गया कि दस्तावेज रसीद, नक्शा ट्रेस, जमाबन्दी पश्चात्वर्ती दस्तावेजात है तथा ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रार्थना पत्र को साक्ष्य में स्वीकार नहीं किया जा सकता है इसलिए दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर नहीं लिया जा सकता है तथा प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। उभय पक्ष की बहस पर मनन करने के उपरान्त प्रार्थना पत्र के सलंग्न दस्तावेजात पश्चातवर्ती होने तथा साक्ष्य में ग्रहण योग्य नहीं होने से प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

5– विपक्ष की बहस अपील भी सुनी गई। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपील बहस में अपील मीमों मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि प्रार्थीगण के खेत में आने जाने के लिए पूर्व से ही वैकल्पिक रास्ते मौजूद है तथा खसरा नम्बर 330 में से कभी कोई रास्ता नहीं रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य की जांच किये बगैर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो कि खारिज योग्य है। अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा अपीलान्ट की बहस का जवाब देते हुए कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पर पूर्ण जांच उपरान्त अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। खसरा नम्बर 330 में से पूर्व से ही आने जाने का रास्ता रहा है जिसे अप्रार्थीगण द्वारा बन्द कर दिया गया है। तहसीलदार की जांच रिपोर्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 330 में से ही सर्वाधिक उपर्युक्त रास्ता प्रार्थीगण के खेत में आने जाने हेतु दिया जा सकता है। अपीलान्टस की अपील में कोई सार नहीं है तथा वह खारिज किये जाने योग्य है।

6– उभय पक्ष की बहस अपील पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात कर अवलोकन किया गया। प्रार्थियान रेस्पोडेंट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया जाकर अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु अप्रार्थीगण अपीलान्टस की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 330 मे से 12 फीट चौडा रास्ता स्वीकृत किये जाने का निवेदन किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र के संबंध में मौके जांच रिपोर्ट तहसीलदार किशनगढ रेनवाल द्वारा प्राप्त की गई। तहसीलदार द्वारा गिरदावर हल्का से जांच करवाई जाकर रिपोर्ट प्रेषित की गई कि खसरा नम्बर 328 गैर मुमकिन रास्ता एवं प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के मध्य खसरा नम्बर 330 अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि स्थित है तथा उक्त खसरा नम्बर 330 की पश्चिमी सीमा के सहारे 12 फीट का रास्ता दिया जाना उचित है तथा यह ग्राम मलिकपुर को जोडने के लिए सबसे कम दूरी का रास्ता है। अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत कर खसरा नम्बर 330 में से रास्ता स्वीकृत नहीं किये जाने का कथन किया गया तथा यह भी कथन किया गया कि प्रार्थीगण द्वारा आने जाने के लिए वैकल्पिक रास्ता का उपयोग खसरा नम्बर 322, 318/14, 318/50 में से तथा खसरा नम्बर 318/50 व 318/3 मे से किया जाता रहा है। अतः प्रार्थीगण खसरा नम्बर 330 में से नया रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र एवं तहसीलदार की जांच रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.01.2017 पारित किया जाकर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में उल्लेख किया है कि "प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि पर आने जाने हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 330 की पश्चिमी सीमा से लगवा मार्क ए से बी 12 फीट चौडे रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता व सुलभ रास्ता आने जाने हेतु उपलब्ध नहीं है इसलिए प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण की खातेदारी की आराजियात खसरा नम्बर 330 की पश्चिमी सीमा से लगवा मार्क ए से बी 12 फीट चौडा रास्ता आने जाने हेतु दिया जाना न्यायोचित पाता हूं।" अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नक्शा ट्रेस के अवलोकन से भी अधीनस्थ न्यायालय के उपर्युक्त उल्लेख की पुष्टि होती है तथा नक्शा ट्रेस से स्पष्ट है कि प्रस्तावित रास्ता दोनों ओर स्थित गैर मुमकिन रास्ता को जोडने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण को रास्ता में आने वाली भूमि के बदले डी.एल.सी. द्वारा निर्धारित दर की दुगुनी राशि भुगतान किये जाने के आदेश दिये गये है। अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई सारभूत त्रुटि कारित किया जाना नहीं पाया जाता है तथा उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अपील अपीलान्ट खारिज योग्य पाई जाती है।

7– अतः अपील अस्वीकार कर खारिज की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.01.2017 यथावत रखे जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

8– निर्णय आज दिनांक 04–01–2018 को सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी

जयपुर